पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, रायपुर
PRESS INFORMATION BUREAU, GOVERNMENT OF INDIA, RAIPUR

Title of the Story/Report:
Name of Newspaper: **HARIBHOOMI**
Page number: 08

Date of Publication: 27.08.2021
Language: **HINDI**
Place of publication: **RAIPUR**

असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने सरकार ने शुरू किया ई-श्रम पोर्टल

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीमों का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक सीधे पहुंचाने के लिए गुरुवार को ई-श्रम पोर्टल लांच किया। इस मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मौजूद थे। पोर्टल के लांच होने के तुरंत बाद ही इस पर असंगठित सेक्टर के वर्करों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया।

लांचिंग के अवसर पर श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के वर्कर इस पोर्टल पर खुद या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए पंजीकरण करा सकेंगे। वे इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि सीएससी को हर पंजीकरण के लिए सरकार की तरफ से 20 रुपए दिए जाएंगे।

स्कीमों को जन-जन तक पहुंचाएगा ई-श्रम पोर्टल : मंगलवार को केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंदर यादव ने ई-श्रम पोर्टल का लोगो लांच किया था। इस मौके पर यादव ने कहा था कि यह 'हमारे राष्ट्र निर्माताओं, हमारे श्रम योगियों' का नेशनल डेटाबेस होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को जन-जन तक पहुंचना है।

404 करोड़ रुपए का बजट: श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अलग से सरकार की किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण पर मिलने वाला 12 डिजिट का ई-श्रम कार्ड पूरे देश में वैध होगा।

घरेलू कामगार करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

ई-श्रम पोर्टल स्कीम के जरिए सरकार असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ वर्करों का डेटाबेस बनाना चाहती है। इसका मकसद केंद्र की सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को इंटीग्रेट करना है। इस डेटाबेस में मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, खेतीहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के दूसरे वर्कर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

टेली कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा

पोर्टल की लांचिंग के मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार श्रमिकों को पंजीकरण में मदद के लिए एक टेली कॉल सेंटर भी बनाएगी। यहां से शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन आगे चलकर दूसरी भारतीय भाषाओं में भी जानकारी ली जा सकेगी।

आधार नंबर औरबैंक खाते की जानकारी देना जरूरी

सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के साथ नेशनल टोल फ्री नंबर 14434 भी जारी किया है। वर्कर इस नंबर पर फोन करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी जानकारी ले सकेंगे। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी देना जरूरी होगा। वर्करों को पोर्टल पर जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, होमटाउन और सोशल कैटेगरी जैसी जरूरी जानकारी भी दर्ज करानी होगी।

पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, रायपुर
PRESS INFORMATION BUREAU, GOVERNMENT OF INDIA, RAIPUR

Title of the Story/Report:
Name of Newspaper: **NAVABHARAT**
Page number: 03
Date of Publication: 27.08.2021
Language: **HINDI**
Place of publication: **RAIPUR**

38 करोड़ श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाया जा रहा

असंगठित कामगारों के लिए नई पहल

मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी-पटरी भी शामिल होंगे

ई-श्रम पोर्टल से असंगठित कामगारों को सुरक्षा

एजेंसी ❖ नई दिल्ली.
www.navabharat.news

देश के करोड़ों असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की है. देखना होगा कि ई-श्रम पोर्टल से वाकई असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिल पाती है या नहीं. सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाया है. ई-श्रम नाम के इस डेटाबेस की शुरूआत केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंदर यादव ने की. इसके जरिए असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण कराना सरकार का लक्ष्य है. इनमें निर्माण क्षेत्र के मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले और घरों में काम करने वाले और अन्य श्रमिक शामिल हैं.

कई सुविधाएं नहीं मिलतीं असंगठित मजदूरों को

असंगठित होने की वजह से इन्हें नियमित रोजगार, जायज वेतन, इलाज का खर्च, बीमा और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं नहीं मिल पातीं. साथ ही आर्थिक आंकड़े इकट्ठे करने में इनकी गिनती नहीं हो पाती जिसकी वजह से आंकड़े भी असली तस्वीर को दिखा नहीं पाते हैं. अगर वाकई इस तरह का डेटाबेस बनता है और इसमें असंगठित कामगारों का पंजीकरण होता है तो यह कदम सही दिशा में होगा. नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टडीज के निदेशक रवि श्रीवास्तव कहते हैं कि अभी यह देखना होगा कि इस पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले कामगारों के विशेष कार्ड को आधार के साथ जोड़ा जाएगा या नहीं. आने वाले दिनों में जब इससे संबंधित और जानकारी सामने आएगी तो इसका बेहतर मूल्यांकन संभव हो पाएगा.

श्रमिकों को 12 अंकों का एक यूनीक नंबर

इस डेटाबेस में शामिल किए जाने वाले श्रमिकों को 12 अंकों का एक यूनीक नंबर दिया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इसी नंबर के जरिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा. पंजीकरण तो आज ही से शुरू हो गया, लेकिन इस डेटाबेस के इस्तेमाल के बारे में सरकार ने अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी है.

80% कामगार असंगठित क्षेत्रों में

90% कामगार असंगठित जानकारों का अनुमान है कि भारत में कम से कम 80% कामगार असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं. संगठित क्षेत्रों में भी कई अनियमित श्रमिक काम करते हैं. उनकी संख्या भी जोड़ दी जाए तो देश में कुल असंगठित कामगारों की तादात 90% या करीब 45 करोड़ तक पहुंच जाती है.

पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, रायपुर
PRESS INFORMATION BUREAU, GOVERNMENT OF INDIA, RAIPUR

Title of the Story/Report:
Name of Newspaper: **NAIDUNIA**
Page number: 09
Date of Publication: 27.08.2021
Language: **HINDI**
Place of publication: **RAIPUR**

38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

नई दिल्ली (ब्यूरो)। 38 करोड़ असंगठित और प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने को केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को ई-श्रम पोर्टल लांच किया। इसके लिए श्रमिकों को आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर देना होगा। पंजीयन पूरी तरह से मुफ्त होगा और श्रमिक कामन सर्विस सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पंजीयन कराने वालों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। फिलहाल पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा लाभ दिया जाएगा।

घर में काम करने वालों से लेकर 10 से कम कर्मचारी वाली संस्था से जुड़े श्रमिक भी पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। एक मोबाइल नंबर से चार श्रमिकों का पंजीयन हो सकेगा। पंजीकृत होने वाले श्रमिकों के पास हर साल मैसेज आएगा और उसे यस करने पर पंजीयन अपडेट होता रहेगा। टोल फ्री काल सेंटर भी गुरुवार से शुरू कर दिया गया। पोर्टल को

डाटा बेस तैयार करने के लिए लांच किया गया ई-श्रम पोर्टल, मोबाइल और आधार नंबर से मुफ्त में होगा पंजीयन

विकसित करने से लेकर उससे जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए 704 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

असंगठित क्षेत्र में 400 से अधिक काम: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अभी 400 से अधिक प्रकार के कार्यों को असंगठित क्षेत्रों में रखा गया है। राज्यों को श्रमिकों का पंजीयन इस पोर्टल पर करने के लिए कहा गया है। पंजीकृत श्रमिकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

पंजीयन के काम की होगी निगरानी: पंजीयन के काम की लगातार निगरानी भी की जाएगी और इस काम के लिए राज्य स्तर पर वहां के मुख्य सचिव के नेतृत्व में निगरानी समिति बनाई जाएगी। वैसे ही पंजीयन कार्य के अमल के लिए जिलाधिकारी की निगरानी समिति बनाई जाएगी।

Title of the Story/Report:
Name of Newspaper: **DESHBANDHU**
Page number: 01
Date of Publication: 27.08.2021
Language: **HINDI**
Place of publication: **RAIPUR**

निर्णय

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन योजना-2019 अधिसूचित की

व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को मिलेगी 3 हजार प्रतिमाह पेंशन

रायपुर, 26 अगस्त (देशबन्धु)। नेशनल एलायंस फेडरेशन-छत्तीसगढ़ चैप्टर के चेयरमैन प्रदीप टण्डन ने कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन योजना-2019 अधिसूचित कर दी है, जिसमें व्यापारियों, दुकानदारों, स्व-नियोजित व्यक्तियों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्ति इसके लिए अपना आधार कार्ड तैयार करा लें जिससे उन्हें अनेक औपचारिकताएं पूरी करने से राहत मिलेगी।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के हवाले से श्री टण्डन ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य विद्यमान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य रूप से छोटे दुकानदारों या खुदरा व्यापारियों, स्व-नियोजित व्यक्तियों, छोटे चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिकों, आटा चक्की मालिकों, कार्यशाला या गैराज मालिकों, कमीशन एजेंटों, रियल इस्टेट ब्रोकरों, छोटे रेस्तरां मालिकों को न्यूनतम 3 हजार रुपये मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार प्रायोजित इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के परामर्श से अपेक्षित क्षेत्रों में पेंशन निधि स्थापित की जाएगी और पात्रों के बराबर ही सरकार इसमें अंशदान करेगी।

उन्होंने कहा कि एलआईसी और कॉमन सर्विस सेंटर-स्पेशल पर्पज व्हीकल जैसी क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यह योजना लागू की जाएगी। श्री टण्डन ने कहा कि इस लाभ के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड तैयार रखना होगा। पात्रों तक सेवाओं या कोई लाभ अथवा सब्सिडी जैसी सरकारी सहायता पहुंचाने में एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड न सिर्फ प्रक्रियाओं के सरलीकरण में सहायक है बल्कि इससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित होती है। आधार कार्ड हितधारकों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से लाभ का सक्षम हकदार बनाता है और किसी भी व्यक्ति को पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की कठिन प्रक्रिया से भी बचाता है।

श्री टण्डन ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके आधार नामांकन की व्यवस्था सरकार करेगी। नामांकन के बाद पात्र व्यक्ति को आधार नामांकन की पर्ची के साथ फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक अथवा भारतीय निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटोयुक्त पहचानपत्र या किसान कार्ड अथवा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड या किसान फोटो पासबुक या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटोयुक्त पहचानपत्र या मंत्रालय द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इन दस्तावेजों की जांच उचित सरकारी अधिकारी करेंगे।

पहचान संबंधी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी तकनीकी कारणों से आधार ऑथेंटिकेशन का काम नहीं हो पा रहा, उन परिस्थितियों ››